

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
18/4/19	<p>पत्रावली अलग पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतना होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 6/6/19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलेक्टर (SDO) शिव</p>	
6/6/19	<p>पत्रावली अलग पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतना होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 14/6/19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलेक्टर (SDO) शिव</p>	
14/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी वकील उप0।</p> <p>प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की खातेदारी के खेत ग्राम नागाणा, पटवार हल्का आंरग, भु- अभिलेख निरीक्षक- भीयाड़ तह0 शिव के खसरा नम्बर 429/394 रकबा 53.12 बीघा भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थिनी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थिगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थिनी एवं विप्रार्थिगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थिगण प्रार्थिनी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते हैं। तथा प्रार्थिनी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।</p> <p>प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थिगण सं. 1 से 06 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।</p> <p>अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थिगण 1 से 06 के सम्मन तामील हो गए हैं। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थिगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थिगण के खिलाफ एक</p>	

तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थिनी वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थिनी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थिनी की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

— आदेश —

अतः प्रार्थिनी श्रीमती अमरूदेवी पत्नी मोटाराम, जाति— जाट, नि० मद्रूपोणियो की ढाणी (पनावडा) हाल नागाणा (आरंग) तह० शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नागाणा, पटवार मण्डल आरंग, भु— अभिलेख निरीक्षक — भीयाड, तह० शिव के खसरा नम्बर 429/394 रकबा 53.12 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमबंदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रुपये प्रार्थिनी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी में की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 81/2018

क्रमांक/आवेदन/19/2780

दिनांक-17.06.2019

प्रार्थनी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्रीमती अमरुदेवी पत्नी मोटाराम, जाति- जाट नि0 मदरूपोगियो की ढाणी (पनावडा) हाल0 नागाणा (आंरग) तह0 शिव		देवीलाल पुत्र राणमल वगैरा (06)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम		

आदेश

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थनी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में ग्राम नागाणा, पटवार हल्का आंरग, भू- अभिलेख निरीक्षक - भीयाड़ के खेत खसरा नम्बर 429/394 रकबा 53.12 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थनी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थनी के खसरा की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/आवेदन/19/2781-2786

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी आंरग को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक भीयाड़ द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थनी श्रीमती अमरुदेवी पत्नी मोटाराम को सूचनार्थ ।
6. विप्रार्थीगण देवीलाल पुत्र राणमल वगैरा (06) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

दिनांक-17.06.2019

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

